भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3632

दिनांक 22.03.2023 को उत्तर देने के लिए

खानों के लिए भूमि का अधिग्रहण

3632. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी खान अथवा अन्य सरकारी कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मौजी हेवती गांव के किसानों की भूमि का अधिग्रहण करते समय इन मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-संपदा अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भू-संपदा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इन प्रभावित किसानों और गांवों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह भुगतान कब किया जाएगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा भू-संपदा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है और प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे और अनुदान का तत्काल भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] में किसी खान के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपनी अपनी सीमाओं के भीतर स्थित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने का अधिकार है। खनन उद्देश्य के लिए अपेक्षित भूमि मालिक और भावी पट्टेदार के बीच या तो स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित की जाती है। इसके अलावा,

सरकारी कंपनियों द्वारा कोयले के खनन के लिए भूमि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत भी अधिग्रहित की जा सकती है।

(ख): महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत मकरधोकरा-III ओपनकास्ट परियोजना के संबंध में हेवती गांव की 6.33 हेक्टेयर गावथन भूमि सहित 1596 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

(ग): खान मंत्रालय रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी अधिनियम को प्रशासित नहीं करता है।

(घ) से (च): महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मकरधोकरा-III परियोजना के लिए, कुल अधिग्रहीत 1596 हेक्टेयर भूमि में से प्रभावित किसानों की 1391.7 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि शामिल है, जिसके लिए 1385.37 हेक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में भूमि मुआवजा और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ अनुमोदित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि अब तक 336 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा और 1089 रोजगार/मौद्रिक मुआवजा सं. वितरित किया गया है। तथापि, 6.33 हेक्टेयर की आबादी भूमि के लिए, भूमि मुआवजा और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभों का निपटान अभी किया जाना है।

****